न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिरोही
बईजलास पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार, आर.ए.एस.

रा.प्रा.पत्र संख्या 54/2019

प्रार्थी
श्री लक्ष्मण पुत्र मगनजी जाति सरगडा
आयु व्यस्क निवासी सिन्दरथ
तहसील व जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण
1– श्री विवके कोठारी पुत्र रमेश कोठारी जाति जैन आयु व्यस्क निवासी 118 शान्तिनगर सिरोही तह.व जि. सिरोही
2– श्री बाबाराम पुत्र गोमाजी जाति मेगवाल आयु व्यस्क निवासी सिन्दरथ तह.व जि. सिरोही
3– श्री खेतीया पुत्र वनाजी जाति मेघवाल आयु व्यस्क निवासी सिन्दरथ तह.व जि. सिरोही के विधिक वारिसदार व का.मु. :–
3/1 श्रीमति लूंगीदेवी पत्नि स्व.मगारामजी पुत्री खेतीया,
3/2 प्रताप पुत्र स्व. मगारामजी
3/3 कूला पुत्र स्व. मगारामजी
3/4 कूपाराम पुत्र स्व. खेतीया
3/5 छोगाराम पुत्र खेतीया
सभी आयु व्यस्क जाति मेघवाल निवासी सिन्दरथ तहसील व जिला सिरोही
4– राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सिरोही

उपस्थित :–
1– श्री प्रकाश प्रजापत वकील प्रार्थी की ओर से
2– अप्रार्थी संख्या 4 स्टेट तह.सिरोही की ओर से स्वंय तहसीलदार सिरोही

रा.प्रा.अ.धारा 251(क) की उपधारा (1)राज.अभिधृति अधिनियम 1955 के तहत वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता देने

निर्णय

दिनांक 30–12–2019

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 251(क)की उपधारा (1) राजस्थान अभिधृति अधिनियम के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 तक के विरूद्व वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता देने बाबत इस न्यायालय मे दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राजस्थान)

16–8–2019 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम खाता संख्या नया 336 के नये खसरा संख्या 344 नये किस्म नहरी 2 कुल क्षैत्रफल 0.2200 हैक्टेयर आयी हुई है एवं उक्त आराजी मे प्रार्थी व अप्रार्थीगण कदीम से आवागमन हेतू पडौस मे स्थित नये खसरा संख्या 345, 346, 347, 323 अप्रार्थीगण के खातेदारी भूमि मे से खसरा संख्या 1536/323 मे स्थित रास्ते से होते हुये निकटतम रास्ता की भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है, उक्त रास्ता आगे ग्रेवल मार्ग से होते हुये पश्चिम स्थित मुख्य सडक मार्ग मे मिलता है, तथा प्रार्थी के उपरोक्त वर्णित कृषि आराजी पर आने जाने हेतू प्रार्थी व उसके परिवारजन द्वारा उनके पडौस मे स्थित अप्रार्थीगण के उक्त खातेदारी नये खसरा संख्या 345,346,347,व 323 भूमि मेसे कदमी रास्ते के रूप मे उपयोग व उपभोग उक्त कृषि आराजी पर वर्षो से करते अआ रहे है। प्रार्थी के खातेदारी खसरा संख्या 344 उपरोक्त कृषि आराजी पर आने जाने हेतू एक मात्र रास्ता खसरा संख्या 345,346,347 व 323 अप्रार्थीगा के खातेदारी की भूमि मेसे होकर स्थित है जो आगे जाकर बिलानाम तरमीम शुदा रास्ता की भूमि खसरा सं. 1536/323 से होते हुये ग्रेवल मार्ग मे मिलता है जो पश्चिम दिशा मे स्थित मुख्य सडक मार्ग से जुडा हुआ है उक्त रास्ते से ही प्रार्थी काश्त हेतू कृषि संसाधन ट्रेक्टर, ट्रॉली, कलटीवेटर इत्यादि लाने ले जाने हेतू उपयोग व उपभोग करता आ रहा है, परन्तु वर्तमान मे उक्त सम्पूर्ण रास्ता राजस्व रेकर्ड मे तरमीम नही होने से प्रार्थी को कई समस्याओं का सामना करना पड रहा है तथा उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड मे तरमीम नही होने से आये दिन अप्रार्थी संख्या 1 श्री विवके कोठारी उसके खातेदारी भूमि खसरा नंबर 347 मे से आने जाने हेतू प्रार्थी के उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि व अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खातेदारी भूमि से लगते खसरा संख्या 1536/323 तरमीम शुदा रास्ते की भूमि को कांटो की बांड करके सीण पट्टी के टुकडे वगैरहा डालकर तथा रास्ते को संकरा करके आये दिन बाधित कर प्रार्थी के आवागमन मे बाधा उत्पन्न करते है एवं उक्त कदमी रास्ते को प्रार्थी के निवेदन के बावजूद आज तक राजस्व रेकर्ड मे तरमीम नही किये जाने से प्रार्थी को निकट भविष्य मे बहुविवाद मे उलझने की पूर्ण सम्भावना को देखते हुये एवं परिणामस्वरूप प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकारों व सुखाधिकारों के हनन होने की पूर्ण सम्भावना को देखते हुये प्रार्थी की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251(क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन प्रस्तुत करने का कारण पैदा होने से श्रीमान के न्यायालय मे उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया है। प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र मे आगे यह भी उल्लेखित करते हुये निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा उसके खातेदारी भूमि खसरा संख्या 344 मे आने जाने हेतू चाहा गया प्रस्तावित रास्ता हेतू खसरा संख्या 345,346,347 व 323 की भूमि के खातेदार कृषक अप्रार्थी संख्या 1 व 3 है तथा इनके अलावा शेष प्रस्तावित रास्ते हेतू खसरा संख्या 345,346,347 व 323 की है तथा खसरा संख्या 1536/323 की भूमि वर्तमान मे यधपि राजस्व रेकर्ड मे रास्ता के रूा मे तरमीम है तथापि उक्त खसरा आराजी मे मोके पर नियमानुसार 15 फीट चौडाई मे रास्ता है परन्तु उक्त रास्ता पहले से मात्र 15 फीट चौडाई मे संकरा होते हुये भी अप्रार्थी उक्त रास्ते की

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राजस्थान)

भूमि को ओर संकरा कर रखा है जिससे प्रार्थी को उक्त समस्त प्रस्तावित रास्ते को 30 फीट चौडाई मे स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है ताकि प्रार्थी व अन्य अडौस पडौस के खातेदारान को भविष्य मे आवागमन हेतू सुगमता होगी । अतः प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजा सिन्दरथ पटवार हल्का धान्ता तहसील व जिला सिरोही मे स्थित खसरा संख्या 344 प्रार्थी के खातेदारी कृषि आराजी मे आने जाने हेतू अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की भूमि खसरा 345,346 एवं आवासीय रूपांतरित भूमि 347 एवं राजकीय बिलानाम भूमि खसरा संख्या 323,मे प्रस्तावित रास्ता करीब 30 फीट चौडाई के बाद जांच राजस्व रेकर्ड मे दर्ज तरमीम करवाने के आदेश न्यायहित मे प्रदान कराना फरमावें तथा इस हेतू अप्रार्थी संख्या 3 को निर्देशित भी करावें ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित दस्तावेजात प्रतियों मे प्रार्थी के खातेदारी कृषि भूमि की जमाबंदी संवत 2072–2075 नया खाता संख्या 336 के खसरा संख्या 344 रकबा 0.2200 हेक्टेयर नक्शा किश्तवार अप्रार्थी संख्या 1 बाबाराम पुत्र गोमाजी मेगवाल सा.देह खाातेदार की जमाबंदी संवत 2072–2075 के नयाखाता संख्या 210 खसरा नंबर 345 रकबा 0.6200 हेक्टेयर किस्म बारानी I अप्रार्थी संख्या 4 स्टेट तहसीलदार,सिरोही के बिलानाम खाते की जमाबंदी संवत 2072–2075 जमाबंदी संवत 2076 वर्ष 2019 से स्थाई खाता संख्या 01 श्री सरकार खसरा नंबर 1536/323 रकबा 0.0274 हेक्टेयर खसरा नंबर 1537/323 रकबा 0.1026 किस्म बारानी I अप्रार्थी संख्या 1 विवेक कोठारी पुत्र रमेश कोठारी जाति जैन नि. शान्तिनगर सिरोही के खातेदारी की जमाबंदी संवत 2072–2075 के नया खाता संख्या 330 के खसरा नंबर 347 रकबा 0.4887 हेक्टेयर अप्रार्थी संख्या 3 खेतीया पुत्र वना मेगवाल के खातेदारी की भूमि की जमाबंदी संवत 2072–2075 खाता संख्या 85 के खसरा नंबर 323 रकबा 0.3626 हेक्टेयर उक्त प्रमाणित प्रतियो का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से उक्त प्रार्थनापत्र दिनांक 16–8–2019 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 तक को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये । विचारण प्रार्थनापत्र की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 6–9–2019 को अप्रार्थी संख्या 1,2,4 के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त होने तथा अप्रार्थी संख्या 3 का नोटिस अदम तामिल इस रिर्पोट के साथ प्राप्त हुआ कि आसामी (खेतीया) की मृत्यु हो चुकी है। जिस पर न्यायालय ने वकील प्रार्थी को दौराने सुनवाई आदेश दिया कि अप्रार्थी संख्या 3 मृतक के वारिसान को रेकर्ड पर लेने हेतू प्रार्थनापत्र अर्न्तगत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी मय नोटिस का.मु. के पेश करें। विचाराधीन प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 30–9–2019 को वकील प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी बाबत अप्रार्थी संख्या 3 मृतक खेतीया के वारिसान को रेकर्ड पर लेने का पेश किया जिसे शा.मि.किया। वकील प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 3 मृतक खेतीयॉ के वारिसान 3/1 से 3/5 तक के पेश किये जिन्हे न्यायालय द्वारा जारी किये गये । अप्रार्थी संख्या 4 स्टेट तहसीलदार सिरोही ने जरिये पत्र क्रमांक 644 दिनांक 17–9–2019 के द्वारा जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया । दौराने सुनवाई न्यायालय मे अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राजस्थान)

संख्या 1 विवेक कोठारी अप्रार्थी संख्या 2 बाबाराम को नोटिस तामिल होने के बावजूद आज न्यायालय मे हाजिर नही होने से न्यायालय द्वारा अप्राथी संख्या 1 व 2 को दौराने सुनवाई हाजिर होने हेतु बार बार आवाजे लगवाने के बावजूद स्वंय या इनके वकील/प्रतिनिधि कोई भी न्यायालय समय तक हाजिर नही होने पर न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाने का आदेश दिया गया । पत्रावली शेष अप्रार्थी संख्या 3/1 से 3/5 के नोटिस तामिली के इन्तजार मे पत्रावली न्यायालय मे दिनांक 9–10–2019 को रखी गई।

अप्रार्थी संख्या 4 स्टेट की ओर से तहसीलदार सिरोही ने अपने उक्त जवाब के माध्यम से यह कथन किया कि ग्राम सिन्दरथ के खसरा संख्या 344 रकबा 0.2200 हैक्टेयर किस्म नहरी 2 आवेदक लक्ष्मण पुत्र मगनजी जाति सरगरा सा. सिन्दरथ के नाम से खातेदारी दर्ज है। अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम सिन्दरथ पटवार मण्डल धान्ता मे निम्नानुसार दर्ज है :–

खाता सं.	खसरा सं.	रकबा	किस्म	खातेदार
210	345	0.6200 हैक्टेयर	बारानी I –	बाबाराम पुत्र गोमाजी मेघवाल सा.देह खातेदार
1	346	0.1100 हैक्टेयर	बारानी I –	बिलानाम
330	347	0.3800 हैक्टेयर	आवासीय – रूपान्तरण	विवके कोठारी पुत्र रमेश कोठारी जाति जैन सा. सिरोही
85	323	0.3626 हैक्टेयर	बारानी I –	खेतीया पुत्र वना मेघवाल सा. सिन्दरथ 1300/1813 हि. व अन्य बिलानाम सरकार 513/1813 हि
1	1536/323	0.0274 हैक्टेयर	रास्ता –	बिलानाम

1. यह कि खसरा संख्या 1536/323 रकबा 0.0274 हैक्टेयर किस्म रास्ता वर्तमान मे 4.572 मीटर (15 फीट) चौडाई का खसरा संख्या 347 रकबा 0.3800 हैक्टेयर किस्म आवासीय रूपान्तरण तक जुडा हुआ है। पूर्व मे खसरा संख्या 323 मे से 4.572 मीटर (15 फीट) चौडाई का रास्ता खसरा संख्या 347 तक पहुँच हेतु दिया हुआ है।
2. यह कि प्रार्थी खसरा संख्या 1536/323 रकबा 0.0274 रास्ते को 4.572 मीटर (15 फीट) चौडाई के स्थान पर खसरा नंबर 323 के रकबे को जोडते हुये 30 फीट चौडाई का करवाना चाहता है तथा खसरा संख्या 347,346 व 345 मे भी 30 फीट (9.1440 मीटर) चौडाई के रास्ते हेतु मांग की गई ।
3. यह कि खसरा संख्या 347 रकबा 0.3800 हैक्टेयर की किस्म आवासीय रूपान्तरण राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। जिसमे से भी 30 फीट चौडाई के रास्ते की मांग की गई है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा लागु नही होती है।
4. यह कि आवेदक द्वारा अपनी खातेदारी आराजी संख्या 344 रकबा 0.2200 हैक्टेयर तक जाने हेतु उपरोक्तानुसार 30 फीट (9.144 मीटर) रास्ते की राजस्थान काश्त. अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के तहत मांग की गई है।

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राजस्थान)

दिनांक 9—10—2019 को इस न्यायालय मे विचारणीय प्रकरण की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 3/1 लुंगीदेवी,3/2 प्रताप ,3/3 कूला,3/4 कूपा, 3/5 छोगाराम के नोटिस तामिल शुदा तहसील कार्यालय सिरोही से प्राप्त होने से शा.मि. किये गये। अप्रार्थी संख्या 3/1, 3/2 3/3, 3/4,3/5 को न्यायालय मे सुनवाई के दौरान हाजिर होने हेतु बार बार आवाजे लगवाने के बावजूद स्वंय या इनके प्रतिनिधि/वकील कोई भी न्यायालय समय तक हाजिर नही होने से न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाने के आदेश दिये गये । अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा अप्रार्थी संख्या 3 मृतक खेतीयॉ के वारिसान अप्रार्थी सं.3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5 के विरूद्व न्यायालय द्वारा पूर्व मे ही एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाने के आदेश देने तथा अप्रार्थी संख्या 4 का जवाब पत्रावली के संलग्न होने से पत्रावली अंतिम बहस हेतु दिनांक 14—10—2019 को रखी गई ।

दिनांक 14—10—2019 को न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र पेश कर खसरा नंबर 345,347,323, मे से रास्ता 30 फीट चौडाई मे देने एवं पक्षकार संख्या 1 को डिलिट करने का पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 4 स्टेट की ओर से तहसीलदार सिरोही ने विचाराधीन प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट पर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई ।

हमने विचारण प्रकरण प्रार्थनापत्र अ0धा0 251(क) आर.टी.एक्ट पर वकील प्राथी तथा एवं अप्रार्थी संख्या 4 स्टेट तहसीलदार सिरोही की अंतिम बहस पर गंभीरता से मनन किया। विचारण प्रकरण की मूल पत्रावली मय प्रार्थनापत्र व जवाब स्टेट तहसीलदार सिरोही व संलग्न राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व संलग्न नक्शा ट्रेस किश्तवार का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया। सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह पाया गया कि प्रकरण मे अप्रार्थी संख्या 1 से 3 तक के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा पूर्व मे दिये जा चुके है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 14.10.2019 अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 से कोई अनुतोष नहीं चाहे जाने के बिन्दु को गौर किया गया। यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी संख्या 344 में आने जाने के लिये वैकल्पिक मार्ग न होने से 30 फीट चौडाई का मार्ग खसरा नंबर 345,346, 323 में से चाहा गया है। गौरतलब है कि प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिये उक्त खसरा नंबरान में 323 में से पूर्व में समर्पण द्वारा 15 फीट चौडाई का रास्ता बिलानाम खसरा नंबर 1526/323 रकबा 0. 0274 हैक्टर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इस बाबत अप्रार्थीगण संख्या 3 के द्वारा सहमति पत्र रास्ता दिये जाने बाबत प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः यह उचित समझता हूँ कि तहसीलदार सिरोही के प्रस्ताव अनुसार निम्न अनुसार रास्ता दिया जावे।

क्र. सं.	नाम ग्राम	खसरा नंबर	प्रस्तावित रास्ते की चौडाई	प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई	प्रस्तावित रास्ते का रकबा	खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राजस्थान)

1	सिन्दरथ	323	4.5 मीटर	60 मीटर	274.32 वर्गमीटर	अप्रार्थी संख्या 3 के विधिक वारिसान 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5
2		346	9.14 मीटर	32 मीटर	292.61 वर्गमीटर	बिलानाम सरकार
3		345	9.14 मीटर	50 मीटर	457.20 वर्गमीटर	बबाराम पुत्र गोमाजी मेघवाल सा. सिंदरथ खातेदार

उपरोक्तानुसार वर्तमान जमाबंदी अनुसार खसरा नंबरान 323, 346, 345 में से 30 फीट चौडाई का रास्ता दिये जाने के आदेश दिये जाते है। इस सम्बन्ध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत धारा 251 व 251(क) के तहत राजस्थान सरकार के श्रीमान संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प03(52) राज–6/4 दिनांक 14–6–2013 बाबत् राजकीय भूमि पर सार्वजनिक रास्ता निकालने के संबंध मे दिये गये प्रावधानों अनुसार उक्त रास्ते की स्वीकृत की गई भूमि के प्रतिकर की रकम निम्नलिखित रीति से अवधारित करने हेतु तहसीलदार सिरोही को आदेश दिये जाते हैः–

(क) राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई दरों या किसी नये मार्ग के खोलने या विधमान मार्ग के विस्तार या चौडा करने के मामले मे राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित दरों का दुगुना और (ख) उपनियम (1) के खण्ड (क) या (ख) के अधीन अवधारित भूमि के मुल्य के अतिरिक्त यदि खडे वृक्ष फसल या संरचनाओ को हटाने के कारण कोई हानि या नुकसान होता है तो वास्तविक हानि या नुकसान की रकम अवधारित की जायेगी ।

तहसीलदार, सिरोही द्वारा उक्त रास्ते की भूमि की नियमानुसार कीमत अवधारित कर कीमत की राशि प्रार्थी द्वारा तहसील कार्यालय सिरोही मे जमा करवाने पर अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 को उपरोक्तानुसार राशि का भुगतान करने पर भूमिधारी तहसीलदार, सिरोही को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त सारणी में दर्शाये अनुसार रास्ते की भूमि खातेदारी में से कम कर राजस्व रेकर्ड मे किस्म गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता श्री सरकार बिलानाम खाते मे दर्ज करने की कार्यवाही कर पालना सुनिश्चित करे। निर्णय आज दिनांक 30–12–2019 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2019.12.31 17:26:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: